युवक की मौत का मामला गहराया : परिजनों ने शव उठाने से किया इंकार

परिजनों का आरोप है कि हत्या कर शव को रेलवे ट्रेक के पास में डाला गया है

जोधपुर, (कासं)। शहर के लूणी तहसील के दूदिया स्थित मेघवालों का बास के रहने वाले एक युवक की मंगलवार की रात को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रेक केके कॉलोनी के पास में डाला गया है। फिलहाल पुलिस इस बारे में पड़ताल में जुटी है। मामले में एक युवती का नाम जोड़ा गया है।

इधर गुरुवार सुबह एमजीएच मोर्चरी पर परिजन ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई और शव को उठाने से इंकार कर दिया। परिजन संदिग्ध हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। लूणी तहसील के दूदिया गांव स्थित मेघवालों का बास निवासी ओमाराम पुत्र सुजाराम मेघवाल ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र जगदीश यहां बासनी एरिया में रहकर प्राइवेट कार्य कर रहा था। 7 जुलाई को एक युवती उसके बेटे के पास अपनी मर्जी से आई और साथ में रहने लगी। दोनों लिव इन में पति पत्नी की तरह रहने लगे थे।

उन्होंने अपनी जानमाल के नुकसान की आशंका में लिव इन में रहने वाले दस्तावेज भी बनाए थे। 11 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट में प्रोटेक्शन पीटिशन दायर की थी। मंगलवार रात

- मंगलवार की रात से रखा है शव, एक युवती के परिजन पर जताया हत्या का संदेह

को उसका पुत्र जगदीश अपने घर की तरफ आ रहा था तब लडकी के रिश्तेदारों ने दोनों का अपहरण किया और फिर झालामंड एरिया में जगदीश से मारपीट कर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को बासनी केके कॉलोनी रेलवे ट्रेक पर डाल दिया। इधर रेलवे ट्रेक पर शव पड़ा होने की जानकारी पर राजकीय रेलवे पुलिस पहुंची थी। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का बताया गया था। मगर मृतक के परिजन ने हत्या की आशंका में बुधवार की रात को कुड़ी थाने में मामला दर्ज कराया है। थानाधिकारी सुमेरदान ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जांच एससीएसटी सैल के एसीपी मानाराम की तरफ से की जा रही है।

बताया गया कि लड़की के परिजन की तरफ से 10 जुलाई को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बोरानाडा थाने में दर्ज कराई थी। बोरानाडा थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि लड़की बुधवार को मिल गई। बुधवार को भी मृतक जगदीश के परिजनों ने एमजीएच के बाहर एकत्र होकर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर रोष जाहिर किया था। उनका कहना था कि कई थानों के चक्कर काटने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। जगदीश की हत्या की गई है और उसमें लड़की के रिश्तेदार और परिचितों का हाथ है। शव को एमजीएच में रखवाया हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मृत्यु के कारणों का पता लग पाएगा।

पानी निकासी के अभाव में दरिया बना महाराणा प्रताप चौक

बरसात के कारण चार-चार फुट पानी भरा, लोगों का आवागमन बंद

शितला बाजार में भरे पानी से लोगों को परेशानी हुई।

सादुलपुर, (निसं)। कई दिनों से गर्मी व तपन के बीच गुरूवार शाम को सादुलपुर में हुई अच्छी बरसात के कारण कस्बा सादुलपुर के महाराणा प्रताप चौक, शितला बाजार में 4-4 फिट भर गया, जिसके कारण लोगों का आवागमन बंद हो गया है।

वहीं गुरूवार सांय हुई अच्छी बरसात सादुलपुर क्षेत्र में जमकर हुई। वहीं बरसात पानी ने नगरपालिका की पानी निकासी की पोल खोल कर रख दी है। वहीं कस्बा सादुलपुर में हुई बरसात के कारण महाराणा प्रताप चौक

- सादुलपुर में हुई अच्छी बरसात के कारण कई जगह पर पानी भर गया

एरिया में लोगों का आवागमन बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा लोगों न रोष प्रकट करते हुए कहा कि सांसद एवं विधायक स्थानीय होने के बाद भी हालात यह है कि महाराणा प्रताप चौक पर 4-4 फिट पानी भरा हुआ है, इस कारण लोगों का आवागमन पूर्णतया बंद है।

तालाब के रूप में तब्दील दरिया बना महाराणा प्रताप चौक एरिया में कुछ वाहन ही फंसे हुए नजर आए। हालात ये है महाराणा प्रताप चौक के आसपास में घरों में भी पानी घुस गया है। हालांकि नगरपालिका प्रशासन द्वारा पानी निकासी हेतु इस एरिया में सड़क किनारे सोखते बोरवेल भी बनाये गए थे, मगर उसके बाद भी स्थिति ज्यो की त्यों है।

आनासागर में क्रूज को उतारने पर रिट लगाने व प्रदर्शन की चेतावनी दी

- पार्षदों व संस्थाओं द्वारा विरोध करने के बावजूद प्रशासन ने गुरूवार को क्रूज आना सागर झील में उतार दिया जिसका पार्षद नरेश सत्यवान ने घोर निंदा की है

अजमेर, (कासं)। अजमेर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दौपदी कोली ने नगर निगम महापौर द्वारा कथन जिसमे महापौर ने कहा है कि आनासागर एस्केप चैनल और आनासागर द्वारा छोड़े जा रहे पानी से निचली बस्तियों में भरने वाले पानी और जलस्तर का ड्रेनेज सिस्टम के लिए साधारण सभा बुलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए लेटर में चौबीस पार्षद में से क्रॉस वेरिफिकेशन में कुछ पार्षदों के हस्ताक्षर का मना करने का घोर विरोध किया, क्योंकि महापौर ने जो जवाब नेता प्रतिपक्ष को दिया उस लेटर में इसका कही जिक्र नहीं किया गया है और न ही इसमें कोई सच्चाई है और यह सभा तो जनहित में है।

कोली ने कहा कि अगर आनासागर का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन हो सकता है तो कम से कम अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में इस मामले की गंभीरता को समझ कर समस्या को सुलझाया तो जा सकता है। इसमें चौबीस पार्षद ही नही निगम परिवार के सभी पार्षदों को शामिल होकर इस समस्या का समाधान करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही आनासागर में उतारे गए क्रूज का भी विरोध किया है क्योंकि जब निगम प्रशासन इस आपदा में आनासागर से निकलने वाले पानी का समाधान नहीं कर पा रहा है तो क्रूज को आनासागर में उतार कर क्यों जनहित को दरकिनार किया जा रहा है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने कानूनी सलाह के बाद कोर्ट जाने की भी और इस पर रिट लगाने और कार्यवाही न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। सत्यावना ने इसे निरस्त करने कि मांग की। क्रूज को आना सागर में उतरा जाना नियमों की धज्जियां उड़ाना है। पार्षदों व संस्थाओं द्वारा विरोध करने के बावजूद प्रशासन ने गुरूवार को क्रूज आना सागर झील में उतार दिया जिसका पार्षद नरेश सत्यवान ने घोर निंदा की है। यह जानकारी देते हुए पार्षद जनसेवक नरेश सत्यावना ने बताया कि यहां लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और प्रशासन को क्रूज उतारने की फुरसत मिल गई। नरेश सत्यावना ने घोर विरोध करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है।

बैंक कर्मियों पर ठगी का आरोप

श्रीगंगानगर, (निसं)। श्रीबिजयनगर में एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर और कर्मचारियों पर साढ़े आठ लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। मामला दर्ज करवाने वाले ने कस्टमर ने बताया कि उसके जिस खाते से ठगी हुई है, उसके एटीएम कार्ड को कभी किसी भी पीओएस मशीन में इस्तेमाल नहीं किया है। वह बैंक खाते में केवल रुपए जमा करवा रहा था। इस साल फरवरी में बैंक खाता जांचा तो निर्धारित बैलेंस से काफी कम बैलेंस मिला। बैंक अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने सहयोग नहीं किया। परेशान होकर कस्टमर ने संबंधित बैंक मैनेजर और दो कर्मचारियों पर फ्रॉड में अज्ञात से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है।

कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज के ऑक्सीजन मास्क में आग लगी, मौत

कोटा, (निसं)। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ है। जिसका मुंह, चेहरा, गर्दन और छाती झुलसे हुए मिले हैं। परिजनों का कहना है कि उपचार के दौरान ऑक्सीजन मास्क में अचानक आग लगने से वैभव शर्मा का चेहरा झुलस गया और उसकी मौत हो गई है।

बुधवार देर रात को हंगामा के बाद मरीज के शव को मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया। जहां पर आज बड़ी संख्या में मरीज के परिचित और रिश्तेदार एकत्रित हो गए। ये लोग अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज की मौत पहले ही हो गई थी। इसके बाद आग लगने की घटना हुई है। मामले के अनुसार अनंतपुरा निवासी वैभव शर्मा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अतुल शर्मा की यूनिट में भर्ती था। मरीज चार-पांच दिन पहले पेट की आंत फटने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुआ था। जिसका ऑपरेशन भी डॉ अतुल शर्मा ने ही किया था।

बुधवार देर रात करीब 11.30 बजे मरीज की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी तभी उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था और इलेक्ट्रिक शॉक देते समय अचानक मास्क में आग लग गई। जिसकी वजह से उसका मुंह, चेहरा, गर्दन और छाती झुलस गया। जब तक मास्क को हटाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। वैभव के शरीर पर जलने के निशान आ गए। मरीज के परिचित और ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयोजक अनिल तिवारी का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की इस मामले में घोर लापरवाही है। अस्पताल को अपने उपकरण दुरुस्त रखने चाहिए। वैभव शर्मा का इलाज हो रहा था और वह ठीकठाक कंडीशन में भी था। इसके बावजूद इस हादसे की वजह से ही उसकी मौत हुई है। ऐसे में वैभव शर्मा के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। इस मामले में पुलिस को अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संगीता सक्सेना का कहना है कि इस पूरे मामले में उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी है। साथ ही मामले की जांच भी करवाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रूप से जो जानकारी उन्हें अस्पताल प्रबंधन ने दी है उसके अनुसार मरीज की स्थिति काफी गंभीर थी। इसलिए उसे ऑक्सीजन सपोर्ट देकर वेंटिलेटर लगाया जा रहा था। उस दौरान मरीज की मौत हो चुकी थी लेकिन चिकित्सकों ने एक बार उसे सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया। साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे थे तभी एक चिंगारी इलेक्ट्रिक शॉक से निकली और वह ऑक्सीजन मास्क पर चली गई। इसी के चलते हल्की-फुल्की आग लगी थी लेकिन मरीज की मौत पहले ही हो चुकी थी। इस आग लगने की वजह से मरीज की मौत नहीं हुई है। इस मामले को लेकर ब्राह्मण समाज ने भी खासी नाराजगी जताई है।

बजरी से भरे डंपरों के लिए मांगा टोल तो हमला किया

- मथानिया स्थित किरमसरिया टोल प्लाजा की घटना

जोधपुर, (कासं)। शहर के निकटवर्ती मथानिया स्थित किरमसरिया टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों द्वारा बजरी डंपर चालकों से टोल मांगना भारी पड़ गया। फोन कर बुलाए गए कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों पर सरिया, लगिया से बुरी तरह पिटाई की। जिससे तीन लोग जख्मी हो गए। घायल टोलकर्मी की तरफ से नामजद के खिलाफ मथानिया थाने में मामला दर्ज कराया गया है। डंपरों में अवैध बजरी थी या नहीं फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है।

मथानिया पुलिस थाने में बड़ाबास ओसियां हाल किरमसरिया टोल प्लाजा पर कार्यरत जितेंद्र सिंह पुत्र भंवरसिंह ने यह रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह 12 जुलाई को टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहा था। उसके साथ में विकास एवं छतरसिंह भी थे। तब बजरी से भरे दो डंपर वहां आए। जोकि टोल का रास्ता छोड़कर दूसरी सड़क से जाने लगे। इस पर उन्हें रूकवाया गया। डंपर चालक रामस्वरूप को बगैर टोल चुकाए जाने का कहने पर उसने धमकाते हुए अपने दो मामा मालाराम और विशनलाल को बुलाया। यह लोग बोलेरो लेकर आए और लगिया सरिया से हमला कर दिया।

पीड़ित जितेंद्रसिंह के सिर पर गहरी चोट लगने के साथ अन्य टोलकर्मी विकास और छतर सिंह भी जख्मी हो गए। उन लोगों ने जैसे तैसे होटल और अन्य जगह भागकर अपनी जान बचाई। हमला करने वाले पीछे दौड़े और धमकाया कि इन्हीं गाड़ियों से कुचल कर मार देंगे। मथानिया पुलिस ने बताया कि घटना में प्रकरण दर्ज किया गया है। अग्रिम जांच की जा रही है। हमलावर हाथ नहीं लगे हैं।

खाई में गिरी वैन, छह घायल

पाली, (नि.सं.)। पाली में गुरुवार सुबह चलती वैन का टायर फट गया। वैन सड़क से करीब 80 फिट दूर खाई में जा गिरी। हादसे में वैन में सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों को बांगड़ हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। सदर थाना जसवंत सिंह ने बताया कि हादसा गुरुवार सुबह हाईवे पर खेतावास मोड़ के निकट हुआ। चलती वैन का अचानक टायर ब्लास्ट हो गया। जिससे वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर थाने से स्टाफ को भेजा। घायलों को एंबुलेस से बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सभी की हालात खतरे से बाहर है। सभी एक ही परिवार के लोग हैं जो सिरोही से जयपुर सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे थे। हादसे में सिरोही निवासी अशोक पुत्र किस्तूराराम माली, प्रकाश पुत्र हकमाराम, शांतिलाल पुत्र हकमाराम, शंकर पुत्र वकताराम, किस्तुरराम पुत्र पदमाराम माली, हकमाराम पुत्र गोमाराम माली घायल हो गए।

खुले चैंबर दे रहे हादसे को बुलावा

चिड़ावा, (निसं)। सीकर में हुए सड़क हादसे के बाद भी चिड़ावा प्रशासन चेता नहीं है। चिड़ावा शहर की स्टेशन रोड पर नवनिर्मित सड़क के किनारे बने नाले के खुले चैंबर हादसे को बुलावा दे रहे हैं। चैंबरों में गिरने से बरसात के मौसम में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिस पर समय रहते ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल, झुंझुनूं रोड पर सीएसडी कैंटिंग के पास से नया बस स्टैंड, कबूतरखाना होते हुए सूरजगढ़ मोड़ तक सीसी रोड का निर्माण करवाया गया। जिसमें नया बस स्टैंड से कबूतरखाना की तरफ सड़क के किनारे नाले का निर्माण करवाया गया। नाले में आने वाले कचरे को निकालने के लिए जगह-जगह चैंबर बनाए गए। चैंबरों पर लोहे का जाळ या फेरो कवर लगाए जाने चाहिए थे।

गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर तत्कालीन डी.एस.पी. अरेस्ट वारंट से तलब

- वर्ष 2012 में रिश्वत लेते एक सरपंच की गिरफ्तारी प्रकरण में बार-बार तलब किया था

भीलवाड़ा, (नि.सं.)। विशिष्ट न्यायाधीश (एसीबी कोर्ट) ने वर्ष 2012 के रिश्वत लेते एक सरपंच की गिरफ्तारी प्रकरण में बार-बार तलब करने के बावजूद गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने को लेकर तत्कालीन डीएसपी भीमसिंह बीका को अरेस्ट वारंट से तलब किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि किशनावतों की खेड़ी निवासी किसान सोहनलाल पुत्र मांगू पूर्बिया गाडरी ने 8 अक्टूबर 2012 को एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर डीएसपी भीमसिंह बीका को लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मौजा फलोदी ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तोड़गढ़ में उसकी माता टेकू बाई पत्नी मांगू पुर्विया गाडरी ने जमीन खरीदी थी। इस जमीन का इन्तकाल पटवार हल्का रघुनाथपुरा (साडास) ने खोल दिया था। उक्त इन्तकाल को फैसल कराने के लिए ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा की कौरम में ले गया तो वहां का मौजूदा वर्तमान सरपंच उगमाराम कुमावत ने 4100 रूपये रिश्वत के तौर पर मांगे। परिवादी ने रूपये देने से मना किया तो इन्तकाल खारिज करने की धमकी दी और कहा कि उसे 2 प्रतिशत के हिसाब से फीस चाहिये। परिवादी सोहन लाल ने सरपंच उगमाराग कुमावत के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही कराये और सरपंच को गिरफ्तार कर राहत दिलायें।

इस शिकायत पर उप पुलिस अधीक्षक भीम सिंह बीका ने उसी दिन रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन दूरभाष से कराया। रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होने पर डीएसपी भीम सिंह बीका ने 9 अक्टूबर 2012 को ट्रैप का आयोजन कर ट्रेप कार्यवाही के लिए जावलियों का खेड़ा गांव पहुंचे। परिवादी ने एक मकान से बाहर निकलकर गली में आकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर उपअधीक्षक पुलिस गवाहों के साथ परिवादी के पास पहुंचे। वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ मिला जिसकी और परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही उगगाराम सरपंच है, जिन्होने 4100 रुपये की रिश्वत मांग कर रिश्वत ली और पेंट की पहनी हुई बांयी जेब में रख लिये। एसीबी ने रिश्वत राशि बरामद कर सरपंच को गिरफ्तार किया था। इस मामले में तफ्तीश के बाद एसीबी ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई के दौरान गवाह पूर्व एसीबी डीएसपी भीमसिंह बीका को सम्मन व जमानती वारंट से तलब किया, लेकिन वे गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इसके चलते एसीबी कोर्ट ने अब डीएसपी बीका को अरेस्ट वारंट से तलब किया है।

महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटा

कोटपूतली, (निसं)। कस्बे के डाबला रोड स्थित राजकीय पानादेवी कन्या महाविद्यालय के सामने गुरूवार को दो युवकों ने पता पुछने के बहाने एक महिला को नशीले पदार्थ का लिफाफा देकर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाश युवक महिला का मंगलसूत्र व कानों के कुंडल लेकर फरार हो गये एवं महिला को कंकड व पत्थर से भरी थैली थमा गये।

इस सम्बंध में पीडित महिला ने स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार कस्बे के मौहल्ला बाछड़ी, वार्ड नं. 21 निवासी पार्वती पत्नी घनश्याम कुम्हार ने दर्ज करवाया कि वह पेशे से कुम्हार का कार्य करती है। इसके लिए पीडिता गुरूवार को गन्ने के छिल्के ईंधन के लिए लेने हेतु राजकीय कन्या महाविधालय के पास गई थी। जैसे ही महाविधालय के गेट के पास पहुँची तो वहाँ दो युवकों ने उसे रोक कर जयपुर की बस के बारे में पूछा।

उन्होंने पार्वती को एक लिफाफा थमाया और कुछ देर में आने को कहकर चले गए। पुडिया में नशीला पदार्थ होने से पार्वती अर्धचेतन अवस्था में हो गई। थोड़ी देर बाद उक्त युवकों ने पीडिता के गले में पहना हुआ मंगलसूत्र निकलवा लिया एवं कानों के कुंडल निकालने की बात कहने पर पीडिता ने मना किया तो उन्होंने धोखे से कुंडलों को धारदार वस्तु से काट लिया।

हत्या व सबूत मिटाने का केस दर्ज

लवली कंडारा एनकाउंटर मामला

जोधपुर, (कासं)। लवली कंडारा एनकाउंटर प्रकरण में अब तत्कालीन थानाधिकारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या एवं सबूत मिटाने का केस दर्ज हुआ है। मामला 5 जुलाई को दर्ज हुआ था। मामला न्यायालय के आदेश पर अब दर्ज किया गया है। जिसकी जांच पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

- तत्कालीन थानाधिकारी सहित अन्य दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज

आरोप है कि तत्कालीन रातानाडा थानाधिकारी लीलाराम ने 13 अक्टूबर 2021 को जोधपुर निवासी लवली कंडारा का एक मास्टर प्लान के तहत फर्जी तरिके से एनकाउंटर किया, जिस पर जोधपुर नागौरी गेट निवासी नरेश कंडारा ने न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता डी. आर. मेघवाल के जरिये इस्तगासा पेश किया। जिस पर न्यायालय ने 2 दिसम्बर 2021 को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। मगर पुलिस ने न्यायालय आदेश के बावजूद लंबे समय तक मामला दर्ज नहीं किया। तब परिवादी नरेश कंडारा ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मूल सिंह व भारत रावत के खिलाफ भी न्यायालय में विधि के निर्देश की अवज्ञा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें परिवादी नरेश कंडारा के बयान लेखबद्ध कर दोनों पुलिस निरीक्षकों को दोषी मानते हुए न्यायालय ने संज्ञान लिया। इस प्रकरण को लेकर विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं चल रही हैं। पुलिस ने न्यायालय आदेश के बाद अब 5 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया है।

रेप के आरोपी को सजा

भीलवाड़ा, (नि.सं.)। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने नाबालिग को अगवा कर रेप के मामले में अहम फेसला सुनाते हुए मुख्य आरोपित मानसिंह पुत्र रामप्रसाद दरोगा निवासी सांगरिया थाना पुलिया कला को 20 साल की सजा और 45 हजार रुपये जुर्माने से, जबकि सहयोगी आरोपित अलवर जिले के प्रतापगढ़ निवासी हरिसिंह पुत्र प्रभु सिंह राजपूत को 4 साल की सजा और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि एक व्यक्ति ने 23 अगस्त 21 को फूलियाकलां थाने में एफआईआर दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री 20 अगस्त 2021 को कहीं चली गई या उसे कोई ले गया। बेटी की उसने संभावित स्थानों व रिश्तेदारी में तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच की। पुलिस ने नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया। नाबालिग पीड़िता के कथन लेखबद्ध किये। पीड़िता ने अपने कथन में कहा कि मानसिंह व उसके साथी हरिसिंह ने जबरन उसका अपहरण किया।

बाल कल्याण समिति झुंझुनूं की पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज

पति ले. कर्नल दिनेश चौधरी व अन्य भी नामजद

झुंझुनूं, (निसं)। बाल कल्याण समिति झुंझुनूं की पूर्व अध्यक्ष अर्चना चौधरी के खिलाफ कोतवाली में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता राजेश अग्रवाल ने यह मामला दर्ज करवाया है। जिसमें आरोप लगाया गया है बाल कल्याण समिति झुंझुनूं के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए अर्चना चौधरी ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों का सहारा लिया।

इसके अलावा शपथ पत्र और आवेदन पत्र में भी झूठी जानकारियां दी। कोर्ट के आदेशों के बाद दर्ज किए गए इस मामले में उनके पति ले. कर्नल दिनेश चौधरी तथा श्रीगंगानगर निवासी प्रतिभा को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। मामला दर्ज होने के बाद प्रेस वार्ता में राजेश अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि नियमों में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए समाज शास्त्र, एलएलबी जैसे विषयों के अलावा सात साल बच्चों के साथ काम करने का अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी पात्र माने जाते है। लेकिन अर्चना चौधरी के पास ऐसी कोई भी योग्यता नहीं थी। जिसके बाद उन्होंने अपने पति ले. कर्नल दिनेश चौधरी व श्रीगंगानगर की एक निजी स्कूल की प्रधानाध्यापिका प्रतिभा व अन्यों के साथ मिलकर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करवाए।

इन अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर उन्हें बाल कल्याण समिति झुंझुनूं के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिली। यही नहीं अर्चना चौधरी ने अपने ऊपर लगे क्रिमीनल आरोपों की जानकारी भी अपने आवेदन पत्र में छुपाते हुए गलत शपथ पत्र बाल अधिकारिता विभाग में

- आरटीआई कार्यकर्ता राजेश अग्रवाल ने यह मामला दर्ज करवाया है
- 'फर्जी कागजातों के आधार पर बनीं थी बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष'

प्रस्तुत किया। कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए कोतवाली पुलिस को भादसं की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी में मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद अब कोतवाली ने अर्चना चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रेस वार्ता में आरटीआई कार्यकर्ता के अधिवक्ता लोकेश शर्मा भी मौजूद थे। आरटीआई कार्यकर्ता राजेश अग्रवाल द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे और प्रेस वार्ता में लगाए गए आरोपों को लेकर अर्चना चौधरी से बातचीत करने की कोशिश की गई। लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। सभी को अर्चना चौधरी की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

आरटीआई कार्यकर्ता राजेश अग्रवाल ने बताया कि बाल कल्याण समिति झुंझुनूं की पूर्व अध्यक्ष अर्चना चौधरी पर 2012 में जम्मू में चोरी के आरोप भी लग चुके है। प्रेस वार्ता में आरटीआई कार्यकर्ता राजेश अग्रवाल ने बताया कि बाल कल्याण समिति झुंझुनूं की पूर्व अध्यक्ष अर्चना चौधरी को पिछले साल दिसंबर में बाल अधिकारिता विभाग ने हटा दिया था। इससे पहले 15 महीनों के कार्यकाल में अर्चना चौधरी ने शिकायतों की लाइन लगा दी।

उन्होंने बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक, बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक, बाल कल्याण समिति के सदस्यों, बालिका आश्रय गृह चूरू की तो लिखित में शिकायतें की। तो वहीं करीब आधा दर्जन से अधिक पुलिस और जिला स्तरीय अधिकारियों की शिकायत की। कुल मिलाकर जितने महीने उन्होंने अपना कार्यकाल किया। उससे ज्यादा की संख्या में तो अधिकारियों, सदस्यों, संगठनों, कर्मचारियों की शिकायत की। जिससे काफी चर्चा में रही।